संख्या– 2/275071/25 /XXVIII-3-25-e file No.80439/2024

प्रेषक,

डॉ० आर राजेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनु०–03 देहरादून, दिनांकः 13 फरवरी, 2025

विषयः–जनपद पौड़ी गढवाल के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, यमकेश्वर में 08 चिकित्सा अधिकारियों के लिए ट्रांजिट हॉस्टल के निर्माण की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–NHMUK/Construction /2022-23/03/2381, दिनांकः 20.11.2024 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि NHM योजनान्तर्गत निर्माण कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन एवं विपणन बोर्ड द्वारा प्रस्तुत आगणन रू. 195.03 लाख के सापेक्ष टी०ए०सी०, नियोजन विभाग के परीक्षणोपरांत औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रू. 195.03 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु भारत सरकार द्वारा आंवटित/अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किस्त 60 प्रतिशत के रूप में रू. 117.00 लाख (रू0 एक करोड़ सत्रह लाख) की धनराशि, जो विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के निवर्तन पर रखी गयी है एवं एन०एच०एम० को उपलब्ध करायी गयी है, को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

i. अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि की जा रही है। कार्य पर मदवार स्वीकृत आंगणन के अनुसार उतना ही व्यय किया जाय जितनी विस्तृत आंगणन में धनराशि स्वीकृत की गयी है।

ii. कार्यों की मॉनिटरिंग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड तथा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के स्तर से नियमित रूप से की जाएगी।

iii. कार्यों को करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए पूर्ण की जायेंगी तथा विभाग द्वारा प्रचलित दरों एवं विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यों को सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

iv. कार्यों पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी प्रत्येक कार्य हेतु मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

v. प्रत्येक कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्यस्थलों का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

vi. कार्यदायी संस्था द्वारा कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व परियोजना के डिजाइन एवं ड्राइंग को भारत सरकार से अनुमोदित प्रख्यात संस्था से विधिक्षित (VET) कराया जायेगा।

vii. प्रत्येक निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राविधानित कार्यों की स्ट्रक्चरल ड्रांइग एवं डिजाइन सक्षम अधिकारी से अवश्य अनुमोदित करायी जाय तथा कार्यदायी संस्था तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय आगणन में उन्हीं मदों का समावेश करेंगे, जो अपरिहार्य मदें हैं।

viii. Reinforcement Steel की मात्रा Bar Bending Schedule के आधार पर आंकलित किया जाये तथा बचत के सम्बन्ध में प्रशासनिक विभाग को अवगत कराया जायेगा। विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

ix. निर्माण कार्यों में स्ट्रक्चरल एवं Reinforcement Steel हेतु शत–प्रतिशत प्राइमरी स्टील का ही प्रयोग किया जाय।

x. निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, रोडी, सीमेन्ट तथा सरिया, स्ट्रक्चरल स्टील एवं अन्य प्रयुक्त निर्माण सामग्री का निर्माण से पूर्व आई.एस. कोड के अनुरूप समय–समय पर NABL प्रयोगशाला में परीक्षण आवश्यक कराया जाय।

xi. निर्माण हेतु Electrical Load के सम्बन्ध में सक्षम स्तर की विशेषज्ञ समिति से परीक्षण एवं अनुमोदन के उपरान्त ही विद्युत भार का निर्धारण किया जाय।

xii. इलैक्ट्रिक आईटम्स जैसे–Switch, Wires, MCB, MCCB, AC आदि Plumbing Items जैसे Bath Fittings, Geyser, Water Tank, Pipes Toilet Items, Wood Items आदि क्रय Market Survey /डी०एस०आर० दर के अनुरूप गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए, विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर ब्राण्ड नेम निर्धारित कर लिया जाय।

xiii. बिल्डिंग से सम्बन्धित सभी मानकों के अनुरूप निर्माण सुनिश्चित किया जाय।

xiv. कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्माण कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित किये जाने हेतु नियोजन विभाग को अवश्य सूचित कराया जाय।

xv. मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से शासन को अवगत करायेंगे।

xvi. विभागाध्यक्ष/सक्षम अधिकारी द्वारा प्लान, स्ट्रक्चरल डिजाईन एवं विशिष्टियों पर हस्ताक्षर अवश्य किये जायेंगे, ताकि भविष्य में प्लान, डिजाइन या विशिष्टियों में कार्यदायी सस्था या Contractor के स्तर से परिवर्तन कर कार्य की गुणवत्ता प्रभावित की प्रवृत्ति को रोका जा सके।

xvii. व्यय किए जाने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

xviii. सम्पूर्ण कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (संशोधित नियमावली, 2019) के अनुरूप कराया जाय।

xix. सुसंगत मद से एन०एच०एम० को संगत घटक में अवमुक्त धनराशि से मिशन निदेशक द्वारा कार्य की प्रगति के दृष्टिगत तीन माह की आवश्यकता के अनुसार कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन एवं विपणन बोर्ड, देहरादून को धनराशि शासन को सूचित करते हुये उपलब्ध करायी

जायेगी।

xx. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा कार्य पर किये गये व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र GFR-19 पर समय–समय पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

xxi. निर्माण कार्य हेतु सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांकः 19 दिसम्बर, 2024 को सम्पन्न विभागीय समिति की बैठक के कार्यवृत्त संख्या–I/265725/2024, दिनांक 03.01.2025 में उल्लिखित निर्देशों का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

xxii. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–2047/XIV–219(2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा कार्य के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था के साथ वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008, दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर नियमानुसार एम०ओ०यू० अवश्य हस्ताक्षरित किया जायेगा। कार्य की प्रगति की निरंतर समीक्षा करते हुए रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जायेगी तथा कार्यों को निर्धारित समयसारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण कराकर भवन विभाग को हस्तगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। विलम्ब या अन्य किसी भी दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थिति में पुनरीक्षण या अन्य किसी नये मद को जोड़ने की आवश्यकता होती हो तो पुनः नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

xxiii. किसी भी दशा में आगणन का पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

xxiv. उक्त के सम्बन्ध में वित विभाग के शासनादेश दिनांक 22 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–12 के सुसंगत लेखाशीर्षकों के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (व्यय नियत्रण) अनुभाग–3 की कम्प्यूटर जनित संख्या I/273866/2025 दिनांक 07 फरवरी, 2025 में प्रदत्त सहमति के कम में जारी किया जा रहा है।

Signed by
Rajan Rajesh Kumar
Date: 12-02-2025 16:35:29

भवदीय

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार)
सचिव।

संख्या एवं तिथि तदैव।

प्रतिलिपिः – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वित्त निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।

6. मुख्य चिकित्साधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
7. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
8. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड देहरादून।
9. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by
Anand Srivastava
Date: 12.02.2025 19:19:24
(डॉ0 आनन्द श्रीवास्तव)
अपर सचिव।